

हर पल आपके साथ

एलआईसी की
जीवन किरण

प्लान नं:870

UIN:512N353V01

भविष्य को बनाने वाली संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए।

परिपक्वता तक सुरक्षा पाइए और उसके बाद अदा प्रीमियम* की वापसी.



परिपक्वता तक अदा किए गए प्रीमियम* वापस किए जाएंगे

आकर्षक सुविधाएं

किफायती लागत पर उच्च जोखिम कवर

उच्च बीमा राशि पर आकर्षक छूट

एकल प्रीमियम या नियमित प्रीमियम

नॉन-लिंकड, असहभागी, व्यवितरण, बचत जीवन बीमा प्लान

*ऊपर ऊलोख किए गए प्रीमियम में कोई अतिरिक्त प्रीमियम, कोई राइडर प्रीमियम तथा टैक्स शामिल नहीं हैं।

प्लान ऑनलाइन भी उपलब्ध है

डाउनलोड कीजिए
एलआईसी मोबाइल ऐप



विजिट करें: licindia.in



कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर/नर्सदीकी एलआईसी बाका से संपर्क करें या अपने शहर का नाम SMS करें 56767474 पर।

हमें फोटो करें LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

भ्रान्तकालीन कारिगर और दृष्टु/प्रोत्साहिती वाले अधिकर्ता से सावधान रहें। आइकार्डरप्रॉफ लीग योग्यताएँ या बैंकों की धोखाकालने या प्रीमियम के निवेद बैंकी गतिविधियों में शामिल नहीं होती। जनता से निवेदन है कि ऐसे काल काल प्राप्त करने पर वे पुलिस ने जिवायात देने करते हैं। जाखिम घटकों, नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिल्डों से बहुत सेवा बोर्डर को दृष्टिभूक्त पढ़ें।

हमारा वॉट्सऐप नं.

8976862090

कहिए
'Hi'

एलआईसी का जीवन किरण (यूआईएन : 512N353V01)

(एक असंबद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत,
जीवन बीमा योजना)

एलआईसी की जीवन किरण एक असंबद्ध, असहभागी, व्यक्तिगत, बचत, जीवन बीमा योजना है जो सुरक्षा और बचत का समायोजन प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और परिपक्वता तक जीवित रहने की स्थिति में उसके द्वारा चुकाई गई कुल प्रीमियम राशि वापस कर दी जाती है।

यह एक असहभागी उत्पाद है जिसके अंतर्गत मृत्यु या परिपक्वता पर देय लाभ गारंटीड और निर्धारित होते हैं, चाहे वास्तविक अनुभव कुछ भी हो। इसलिए पॉलिसी किन्हीं विवेकाधीन लाभों, जैसे बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना को अभिकर्ताओं / अन्य मध्यस्थों के माध्यम से ऑफलाइन और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं :

- लाभ
 - दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में जीवन बीमा सुरक्षा।
 - *परिपक्वता तक जीवित रहने की स्थिति में चुकाई गई कुल प्रीमियम की वापसी (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, किसी भी राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर)।
- लचीलापन
 - एकल प्रीमियम और नियमित प्रीमियम भुगतान में से मनचाहा विकल्प चुनें।
 - उस अवधि का चुनाव करें, जिसके लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।
 - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प चुनें।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ लें।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ, अर्थात् (1) धूम्रपान न करने वालों की दरें और (2) धूम्रपान करने वालों की दरें। धूम्रपान न करने वालों की दरें यूरीनरी कोटिनाइन टेस्ट के निष्कर्षों पर आधारित होंगी। अन्य सभी मामलों में, धूम्रपान करने वालों की दरें लागू होंगी।
- राइडर हितलाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना हितलाभ राइडर/दुर्घटना मृत्यु अपंगता हितलाभ राइडर का विकल्प चुनकर बीमा-सुरक्षा को बढ़ाने का विकल्प।

1. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध :

- i. प्रवेश के समय न्यूनतम आयु: 18 वर्ष (गत जन्मदिन पर)
- ii. प्रवेश के समय अधिकतम आयु: 65 वर्ष (गत जन्मदिन पर)

iii. परिपक्वता पर न्यूनतम आयुः	28 वर्ष (गत जन्मदिन पर)
iv. परिपक्वता पर अधिकतम आयुः	80 वर्ष (गत जन्मदिन पर)
v. पॉलिसी अवधि:	10 वर्ष से 40 वर्ष
vi. प्रीमियम भुगतान अवधि	
•नियमित प्रीमियम के अंतर्गतः	पॉलिसी अवधि के समान
•एकल प्रीमियम के अंतर्गतः	लागू नहीं
vii. न्यूनतम मूल बीमा राशि:	रु. 15,00,000/-
viii. अधिकतम मूल बीमा राशि : कोई सीमा नहीं, जोखिमांकन निर्णय के अधीन*	(*प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित सही नीति के अनुसार जोखिमांकन निर्णय के अधीन होगी।)

मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशियों के गुणक में होगी :

मूल बीमा राशि सीमा	बीमा राशि गुणक (रु.)
रु. 15,00,000/- से रु. 37,00,000/- तक	1,00,000/-
रु. 37,00,000/- से अधिक से 50,00,000/- तक	25,00,000/-
रु. 50,00,000/- से अधिक से रु. 80,00,000/- तक	10,00,000/-
रु. 80,00,000/- से अधिक से रु. 1,00,00,000/- तक	20,00,000/-
रु. 1,00,00,000/- से अधिक से रु. 1,50,00,000/- तक	25,00,000/-
रु. 1,50,00,000/- से अधिक से रु. 4,00,00,000/- तक	50,00,000/-
रु. 4,00,00,000/- से अधिक	1,00,00,000/-

ix. न्यूनतम प्रीमियम : न्यूनतम किस्त प्रीमियम होगी रु. (3,000) नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए और रु. (30,000) एकल प्रीमियम पॉलिसियों के लिए

2. हितलाभ :

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय हितलाभ निम्नानुसार होंगे :

ए. मृत्यु हितलाभ :

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर देय मृत्यु हितलाभ “मृत्यु पर बीमा राशि” होगी।

नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु पर बीमा राशि को इनमें से जो भी अधिक हो, उसके रूप में परिभाषित किया गया है :

- वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना; या
- मृत्यु की तिथि तक देय कुल प्रीमियम का 105% ; या
- मूल बीमा राशि।
एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु पर बीमित राशि को निम्नांकित में से जो भी अधिक हो, उसके रूप में परिभाषित किया गया है :
 - एकल प्रीमियम का 125% ; या
 - मूल बीमा राशि।

जहाँ,

- i. वार्षिक प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा चयनित वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- ii. चुकाई गई कुल प्रीमियम का अर्थ है, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, किसी भी राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर, प्राप्त सभी प्रीमियमों का योग।

बी. परिपक्वता हितलाभ :

परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक जीवित रहने पर, “परिपक्वता पर बीमा राशि” देय होगी, जहाँ “परिपक्वता पर बीमा राशि” नियमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत “चुकाई गई कुल प्रीमियम” और एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के अंतर्गत “एकल प्रीमियम भुगतान” के बराबर है।

जहाँ,

- i. “चुकाई गई कुल प्रीमियम” का अर्थ है, किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, किसी भी राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर, प्राप्त सभी प्रीमियमों का योग।
- ii. “एकल प्रीमियम भुगतान” का अर्थ है किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, किसी भी राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर, प्राप्त एकल प्रीमियम।

3. उपलब्ध विकल्प :

I. वैकल्पिक राइडर्स :

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर इस प्लान के अंतर्गत राइडर नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार उपलब्ध हैं :

- **एकल प्रीमियम भुगतान :** एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर (यूआईएन: 512बी209वी02) एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत उपलब्ध होगा और पॉलिसीधारक द्वारा इस राइडर का चयन केवल शुरुआत में ही किया जा सकता है।
- **नियमित प्रीमियम भुगतान :** पॉलिसीधारक द्वारा नियमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512बी209वी02) या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512बी203वी03) में से किसी एक विकल्प का चयन किया जा सकता है।

उपरोक्त राइडरों का चयन नीचे दी गई पात्रता शर्तों के अधीन किया जा सकता है :

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और अपंगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B209V02) :

एकल प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर को केवल शुरुआत में ही चुना जा सकता है और चालू नियमित प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर को मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चुना जा सकता है, बशर्ते कि मूल योजना के साथ-साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा केवल बकाया पॉलिसी अवधि के दौरान या उस पॉलिसी वर्षगाँठ तक, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण होने वाली आकस्मिक विकलांगता के मामले में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के लिए भावी प्रीमियम, यदि कोई हो, और इसके साथ-साथ मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि के हिस्से के लिए प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि के बराबर है, को नियमित प्रीमियम पॉलिसी के मामले में माफ कर दिया जाएगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B203V03) :

चालू पॉलिसी नियमित प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर को

मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर किसी भी समय चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ-साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन उस पॉलिसी वर्षगाँठ से पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष होती है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा केवल बकाया पॉलिसी अवधि के दौरान या पॉलिसी की उस वर्षगाँठ तक, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, उपलब्ध होगा। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने के मामले में, दुर्घटना हितलाभ बीमा राशि मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ एकमुश्त देय होगी।

एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपांगता हितलाभ राइडर/एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और अपांगता हितलाभ राइडर/एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के अंतर्गत प्रीमियम मूल उत्पाद के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी।

राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, की वसूली मूल उत्पाद के अंतर्गत देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से की जाएगी।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

II. निपटान विकल्प (परिपक्वता हितलाभ के लिए) :

निपटान विकल्प चालू और प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 साल की अवधि में किस्तों में परिपक्वता लाभ प्राप्त करने का एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के अंतर्गत देय परिपक्वता राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या देय कुल दावा राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल, जो भी चयनित हो, पर किया जाएगा, जो कि भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त के अधीन होगी, जो निम्नानुसार है :

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
त्रैमासिक	रु. 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शुद्ध दावा राशि

न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप से किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त के निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.17% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का प्रयोग करने के लिए, पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति को परिपक्वता दावे की नियत तिथि से कम से कम 3 महीने पहले किस्तों में शुद्ध दावा राशि के भुगतान के लिए विकल्प का प्रयोग करना होगा।

पहला भुगतान परिपक्वता की तिथि पर किया जाएगा और उसके बाद, पॉलिसीधारक द्वारा चयनित किस्त भुगतान की विधि के आधार पर, परिपक्वता की तिथि से हर महीने या तीन महीने या छह महीने या सालाना, जैसा भी मामला हो, भुगतान किया जाएगा।

निपटान विकल्प के अंतर्गत किस्त भुगतान शुरू होने के बाद :

- i. यदि कोई बीमित व्यक्ति, जिसने परिपक्वता हितलाभ के प्रति निपटान विकल्प का प्रयोग किया है, इस विकल्प को वापस लेने और बकाया किस्तों को कम करने की इच्छा रखता है, तो उसे बीमित व्यक्ति से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इसकी अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में, एकमुश्त राशि जो निम्नलिखित में से अधिक होगी, का भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी,
 - सभी देय भावी किस्तों का रियायती मूल्य; या
 - (वह मूल राशि, जिसके लिए निपटान विकल्प का प्रयोग किया गया था) इसमें से कम करें (पहले से भुगतान कर दी गई कुल किस्तों का योग)।
- ii. लागू ब्याज दर, जिसका उपयोग भावी किस्त भुगतानों पर छूट के लिए किया जाएगा, वह वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर से अधिक नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के समान होगी, जिसके दौरान निपटान विकल्प शुरू किया गया था।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू किए गए सभी निपटान विकल्पों के संबंध में, भावी किस्तों में छूट के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लागू ब्याज दर 7.17% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

- iii. परिपक्वता की तिथि के बाद, यदि निपटान विकल्प का उपयोग करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में, बकाया किस्तों का भुगतान बीमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए विकल्प के

अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाता रहेगा और नामांकित व्यक्ति की ओर से इसमें किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

III. मृत्यु हितलाभ किस्तों में लेने का विकल्प :

यह विकल्प चालू और प्रदत्त पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 साल की अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त करने का एक विकल्प है। इस विकल्प का उपयोग बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभों के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है। किस्तों का भुगतान अग्रिम रूप से वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या ट्रैमासिक या मासिक अंतराल, जो भी चयनित हो, पर किया जाएगा, जो कि भुगतान के विभिन्न प्रकारों के लिए न्यूनतम किस्त के अधीन होगी, जो निम्नानुसार है :

किस्त भुगतान के प्रकार	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
ट्रैमासिक	रु. 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शुद्ध दावा राशि न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप से किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त के निर्धारण के लिए उपयोग की जाने वाली व्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के समान होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक शुरू होने वाली 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू व्याज दर 5।17% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति अपने जीवनकाल के दौरान पॉलिसी चालू रहते हुए इस विकल्प का उपयोग कर सकता है, जिसके अंतर्गत उस शुद्ध दावा राशि को निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाएगा है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा और नामांकित व्यक्ति को इसमें किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियमों का भुगतान :

इस योजना के अंतर्गत नियमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प

उपलब्ध हैं। नियमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से केवल वार्षिक या अर्ध-वार्षिक भुगतान विधि के साथ किया जा सकता है।

देय प्रीमियम बीमित होने वाले जीवन की प्रवेश के समय आयु, धूम्रपान की स्थिति, पॉलिसी अवधि और चुनी गई बीमा राशि पर निर्भर होगी। एकल प्रीमियम के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 30,000/- होगी। नियमित प्रीमियम विधि के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 3,000/- होगी। यदि गणना की गई किस्त प्रीमियम न्यूनतम प्रीमियम राशि से कम होती है, तो प्रस्तावित पॉलिसी मापदंडों में से किसी को इस तरह से संशोधित किया जाएगा कि संशोधित किस्त प्रीमियम न्यूनतम किस्त प्रीमियम से अधिक या उसके बराबर हो।

5. अनुग्रह अवधि (नियमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

प्रथम अदत्त प्रीमियम की तिथि से वार्षिक या अर्ध-वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की एक अनुग्रह अवधि की अनुमति प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी को बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ लागू माना जाएगा। यदि इन अनुग्रह के दिनों की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी समाप्त हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय है।

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

आँफलाइन विक्रय के लिए एकल और नियमित प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत धूम्रपान न करने वाले मानक जीवन हेतु रु. 20 लाख की मूल बीमा राशि के लिए नमूने की उदाहरणात्मक प्रीमियमें इस प्रकार हैं :

नियमित प्रीमियम :

आयु (गत जन्मदिन पर)	वार्षिक प्रीमियम (रु. में)			
	पॉलिसी अवधि			
	10	20	30	40
20	20,060	9,440	8,000	8,280
30	22,500	12,080	11,600	12,320
40	35,140	21,820	20,520	21,300
50	72,700	42,400	38,160	-
60	1,27,220	75,000	-	-

एकल प्रीमियम :

आयु (गत जन्मदिन पर)	एकल प्रीमियम (रु. में)			
	पॉलिसी अवधि			
	10	20	30	40
20	51,340	51,940	60,900	77,080

30	59,000	70,600	96,680	1,25,820
40	99,060	1,39,680	1,85,480	2,34,220
50	2,24,020	2,86,260	3,60,780	-
60	4,18,500	5,26,820	-	-

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

7. छूट /लोडिंग :

निम्नलिखित छूट/लोडिंग लागू होगी :

(i) उच्च बीमा राशि छूट

उच्च बीमा राशि पर छूट इस प्रकार हैं :

ए) नियमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत :

सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च मूल बीमा राशि (बीएसए) के लिए छूट इस प्रकार है :

आयु बंध (एलबीडी)	विभिन्न मूल बीमा राशियों के लिए सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में उच्च मूल बीमा राशि छूट				
	रु. 50 लाख से कम	रु. 50 लाख से लेकर रु. 1 करोड़ से कम तक	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम तक	रु. 2 करोड़ से लेकर रु. 5 करोड़ से कम तक	रु. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	24%	32%	43%	50%
31 से 50 वर्ष	शून्य	12%	17%	25%	30%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	9%	13%	18%	20%

बी) एकल प्रीमियम के अंतर्गत :

सारणीबद्ध एकल प्रीमियम के % के रूप में उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूट इस प्रकार है :

आयु बंध (एलबीडी)	विभिन्न मूल बीमा राशियों के लिए सारणीबद्ध एकल प्रीमियम के % के रूप में उच्च मूल बीमा राशि छूट				
	रु. 50 लाख से कम	रु. 50 लाख से लेकर रु. 1 करोड़ से कम तक	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम तक	रु. 2 करोड़ से लेकर रु. 5 करोड़ से कम तक	रु. 5 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	20%	28%	35%	40%
31 से 50 वर्ष	शून्य	10%	15%	20%	24%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	8%	12%	15%	18%

(ii) मोडल लोडिंग (नियमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

विधि	सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के % के रूप में लोडिंग
वार्षिक	शून्य
अर्ध-वार्षिक	2%

(iii) ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूट :

किसी अभिकर्ता / मध्यस्थ की सहायता के बिना, ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्ण किए जाने वाले प्रस्ताव निम्नलिखित दरों पर सारणीबद्ध प्रीमियम पर छूट के लिए पात्र होंगे :

प्रीमियम भुगतान	छूट (सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के % के रूप में)
नियमित प्रीमियम	10%
एकल प्रीमियम	2%

8. पुनर्चलन (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू) :

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है। एक कालातीत पॉलिसी को बीमित व्यक्ति के जीवनकाल के दौरान पुनर्चलित किया जा सकता है, लेकिन पहली अद्तत प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 वर्षों की अवधि के भीतर और परिपक्वता की तिथि से पहले, जैसा भी मामला हो। पुनर्चलन सभी बकाया प्रीमियमों का भुगतान, उस दर पर ब्याज (अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि) के साथ, जैसा भी निगम द्वारा समय-समय पर तय किया जाए, और बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा सक्षमता की संतुष्टि होने, जो पहले से उपलब्ध जानकारी, दस्तावेजों और रिपोर्टों के आधार पर और इस संबंध में किसी भी अतिरिक्त जानकारी पर, यदि और जैसे भी पुनर्चलन के समय निगम की बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक होगा, जिसे बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, पर प्रभावी होगा।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत किया जाएगा और इस संबंध में पुनर्चलन रसीद जारी की जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए इस उत्पाद के अंतर्गत पुनर्चलन के लिए लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन पर 10 वर्ष की जी-सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि में 3% को जोड़कर उसके योग या निगम के असंबद्ध, अप्रतिभागी फंड पर अर्जित आय में 1% जोड़कर उसके योग, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2024 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.150% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के

लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

राइडर के पुनर्चलन, यदि कोई हो, पर केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

9. चुकता मूल्य (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के लिए लागू) :

यदि पॉलिसी के संबंध में दो पूर्ण वर्षों से कम की प्रीमियमों का भुगतान किया गया है और किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है, तो पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ पहली भुगतान न की गई प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

यदि, कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम का भुगतान करने के बाद और किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है, तो पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि वह पॉलिसी अवधि के अंत तक प्रदत्त पॉलिसी के रूप में विद्यमान रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे ममृत्यु पर चुकता बीमा राशिफ कहा जाएगा और यह ममृत्यु पर बीमा राशिफ गुणित उस कुल अवधि के अनुपात के बराबर होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जिसमें वह अधिकतम अवधि है, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, ममृत्यु पर चुकता बीमा राशिफ एकमुश्त देय होगी और उसके बाद कोई और हितलाभ देय नहीं होगा।

किसी चुकता पॉलिसी के अंतर्गत परिपक्वता पर बीमा राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दी जाएगी, जिसे मपरिपक्वता प्रदत्त बीमा राशिफ कहा जाएगा और यह परिपक्वता पर बीमा राशि गुणित उस कुल अवधि के अनुपात के बराबर होगी, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जिसमें वह अधिकतम अवधि है, जिसके लिए प्रीमियमें मूल रूप से देय थीं। परिपक्वता पर चुकता बीमा राशि परिपक्वता पर देय होगी।

उपरोक्त उल्लेखित गैर-जब्ती प्रावधान किसी भी राइडर पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कोई चुकता मूल्य नहीं होता है।

राइडर हितलाभ लागू होना बंद हो जाता है, यदि पॉलिसी कालातीत स्थिति में होती है।

10. अभ्यर्पण :

नियमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है, बशर्ते पूरे दो वर्षों की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत, पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय पॉलिसी को अभ्यर्पित किया जा सकता है।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) और विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी)

में से जो भी अधिक होगा, वह अभ्यर्पण मूल्य होगा।

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी)

एकल प्रीमियम पॉलिसियों के अंतर्गत :

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार होगा :

पहले तीन पॉलिसी वर्षों के दौरान : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 75%।

इसके बाद : भुगतान की गई एकल प्रीमियम का 90%।

उपरोक्त एकल प्रीमियम में कर, राइडर प्रीमियम और अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के अंतर्गत :

गारंटीड अभ्यर्पण मूल्य भुगतान की गई कुल प्रीमियम (किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर(रो) के लिए किसी भी प्रीमियम, यदि चयनित हो और करों को छोड़कर) गुणित भुगतान की गई कुल प्रीमियम पर लागू जीएसवी कारक होंगी।

जीएसवी कारकों को भुगतान की गई कुल प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और वे पॉलिसी अवधि और उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर होंगे, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाएगी और वे नीचे दिए गए हैं :

भुगतान किये गए कुल प्रीमियम पर लागू अन्वर्षण मूल्य कारक (नियमित प्रीमियम के लिए)

पॉलिसी वर्ष	पॉलिसी अवधि →															
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
3	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
4	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
6	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
7	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
8	65.00%	60.00%	57.50%	56.00%	55.00%	54.29%	53.75%	53.33%	53.00%	52.73%	52.50%	52.31%	52.14%	52.00%	51.88%	51.76%
9	90.00%	70.00%	65.00%	62.00%	60.00%	58.57%	57.50%	56.67%	56.00%	55.45%	55.00%	54.62%	54.29%	54.00%	53.75%	53.53%
10	90.00%	90.00%	72.50%	68.00%	65.00%	62.86%	61.25%	60.00%	59.00%	58.18%	57.50%	56.92%	56.43%	56.00%	55.63%	55.29%
11		90.00%	90.00%	74.00%	70.00%	67.14%	65.00%	63.33%	62.00%	60.91%	60.00%	59.23%	58.57%	58.00%	57.50%	57.06%
12			90.00%	90.00%	75.00%	71.43%	68.75%	66.67%	65.00%	63.64%	62.50%	61.54%	60.71%	60.00%	59.38%	58.82%
13				90.00%	90.00%	75.71%	72.50%	70.00%	68.00%	66.36%	65.00%	63.85%	62.86%	62.00%	61.25%	60.59%
14					90.00%	90.00%	76.25%	73.33%	71.00%	69.09%	67.50%	66.15%	65.00%	64.00%	63.13%	62.35%
15						90.00%	90.00%	76.67%	74.00%	71.82%	70.00%	68.46%	67.14%	66.00%	65.00%	64.12%
16							90.00%	90.00%	77.00%	74.55%	72.50%	70.77%	69.29%	68.00%	66.88%	65.88%
17								90.00%	90.00%	77.27%	75.00%	73.08%	71.43%	70.00%	68.75%	67.65%
18									90.00%	90.00%	77.50%	75.38%	73.57%	72.00%	70.63%	69.41%
19										90.00%	90.00%	77.69%	75.71%	74.00%	72.50%	71.18%
20											90.00%	90.00%	77.86%	76.00%	74.38%	72.94%
21												90.00%	90.00%	78.00%	76.25%	74.71%
22													90.00%	90.00%	78.13%	76.47%
23														90.00%	90.00%	78.24%
24															90.00%	90.00%
25																90.00%
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																

भुगतान किये गए कुल प्रीमियम पर लागू अन्यर्पण मूल्य कारक (नियमित प्रीमियम के लिए)														
पांसिस्टी अवधि →														
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
51.67%	51.58%	51.50%	51.43%	51.36%	51.30%	51.25%	51.20%	51.15%	51.11%	51.07%	51.03%	51.00%	50.97%	50.94%
53.33%	53.16%	53.00%	52.86%	52.73%	52.61%	52.50%	52.40%	52.31%	52.22%	52.14%	52.07%	52.00%	51.94%	51.88%
55.00%	54.74%	54.50%	54.29%	54.09%	53.91%	53.75%	53.60%	53.46%	53.33%	53.21%	53.10%	53.00%	52.90%	52.81%
56.67%	56.32%	56.00%	55.71%	55.45%	55.22%	55.00%	54.80%	54.62%	54.44%	54.29%	54.14%	54.00%	53.87%	53.75%
58.33%	57.89%	57.50%	57.14%	56.82%	56.52%	56.25%	56.00%	55.77%	55.56%	55.36%	55.17%	55.00%	54.84%	54.69%
60.00%	59.47%	59.00%	58.57%	58.18%	57.83%	57.50%	57.20%	56.92%	56.67%	56.43%	56.21%	56.00%	55.81%	55.63%
61.67%	61.05%	60.50%	60.00%	59.55%	59.13%	58.75%	58.40%	58.08%	57.78%	57.50%	57.24%	57.00%	56.77%	56.56%
63.33%	62.63%	62.00%	61.43%	60.91%	60.43%	60.00%	59.60%	59.23%	58.89%	58.57%	58.28%	58.00%	57.74%	57.50%
65.00%	64.21%	63.50%	62.86%	62.27%	61.74%	61.25%	60.80%	60.38%	60.00%	59.64%	59.31%	59.00%	58.71%	58.44%
66.67%	65.79%	65.00%	64.29%	63.64%	63.04%	62.50%	62.00%	61.54%	61.11%	60.71%	60.34%	60.00%	59.68%	59.38%
68.33%	67.37%	66.50%	65.71%	65.00%	64.35%	63.75%	63.20%	62.69%	62.22%	61.79%	61.38%	61.00%	60.65%	60.31%
70.00%	68.95%	68.00%	67.14%	66.36%	65.65%	65.00%	64.40%	63.85%	63.33%	62.86%	62.41%	62.00%	61.61%	61.25%
71.67%	70.53%	69.50%	68.57%	67.73%	66.96%	66.25%	65.60%	65.00%	64.44%	63.93%	63.45%	63.00%	62.58%	62.19%
73.33%	72.11%	71.00%	70.00%	69.09%	68.26%	67.50%	66.80%	66.15%	65.56%	65.00%	64.48%	64.00%	63.55%	63.13%
75.00%	73.68%	72.50%	71.43%	70.45%	69.57%	68.75%	68.00%	67.31%	66.67%	66.07%	65.52%	65.00%	64.52%	64.06%
76.67%	75.26%	74.00%	72.86%	71.82%	70.87%	70.00%	69.20%	68.46%	67.78%	67.14%	66.55%	66.00%	65.48%	65.00%
78.33%	76.84%	75.50%	74.29%	73.18%	72.17%	71.25%	70.40%	69.62%	68.89%	68.21%	67.59%	67.00%	66.45%	65.94%
90.00%	78.42%	77.00%	75.71%	74.55%	73.48%	72.50%	71.60%	70.77%	70.00%	69.29%	68.62%	68.00%	67.42%	66.88%
90.00%	90.00%	78.50%	77.14%	75.91%	74.78%	73.75%	72.80%	71.92%	71.11%	70.36%	69.66%	69.00%	68.39%	67.81%
	90.00%	90.00%	78.57%	77.27%	76.09%	75.00%	74.00%	73.08%	72.22%	71.43%	70.69%	70.00%	69.35%	68.75%
		90.00%	90.00%	78.64%	77.39%	76.25%	75.20%	74.23%	73.33%	72.50%	71.72%	71.00%	70.32%	69.69%
			90.00%	90.00%	78.70%	77.50%	76.40%	75.38%	74.44%	73.57%	72.76%	72.00%	71.29%	70.63%
				90.00%	90.00%	78.75%	77.60%	76.54%	75.56%	74.64%	73.79%	73.00%	72.26%	71.56%
					90.00%	90.00%	78.80%	77.69%	76.67%	75.71%	74.83%	74.00%	73.23%	72.50%
						90.00%	90.00%	78.85%	77.78%	76.79%	75.86%	75.00%	74.19%	73.44%
							90.00%	90.00%	78.89%	77.86%	76.90%	76.00%	75.16%	74.38%
								90.00%	90.00%	78.93%	77.93%	77.00%	76.13%	75.31%
									90.00%	90.00%	78.97%	78.00%	77.10%	76.25%
										90.00%	90.00%	78.06%	77.19%	
											90.00%	90.00%	79.03%	78.13%
												90.00%	90.00%	
													90.00%	
														90.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य (एसएसवी) समीक्षा योग्य है और उसका निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

राइडर(रों), यदि कोई हो, पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

पॉलिसी अवधि के दौरान अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और आगे कोई और लाभ देय नहीं होगा।

11. पॉलिसी ऋण :

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

12. पॉलिसी की समाप्ति :

निम्नलिखित में से जो भी घटना पहले होगी, उसके होने पर पॉलिसी तुरंत और स्वचलित रूप से समाप्त हो जाएगी :

- ए) वह तिथि, जिस पर एकमुश्त मृत्यु लाभ/मृत्यु लाभ की अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है; या
- बी) वह तिथि, जिस पर पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण लाभों का निपटान किया जाता है; या
- सी) यदि निपटान विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो परिपक्षता की तिथि; या
- डी) निपटान विकल्प के अंतर्गत अंतिम किस्त के भुगतान पर; या
- ई) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर, यदि वह पॉलिसी, जिसने प्रदत्त स्थिति प्राप्त नहीं की है, उसे पुनर्चलन अवधि के भीतर पुनर्चलित नहीं किया गया है; या
- एफ) निःशुल्क अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या
- जी) पैरा 13 में निर्दिष्ट अनुसार जब्ती की स्थिति में।

13. कुछ घटनाओं में जब्ती:

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत वक्तव्य, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई भी असत्य या गलत वक्तव्य शामिल है, या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है, तो ऐसे हर मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

14. कर :

वैधानिक कर, यदि कोई हों, जिन्हें भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाया जाता है, वे कर कानूनों और समय-समय पर लागू कर की दर के अनुसार होंगे।

प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा प्रीमियम(मों) पर देय होगी (मूल पॉलिसी और राइडर(रों), यदि कोई हों, के लिए), जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम(में), यदि कोई हों, शामिल हैं, जिन्हें पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूला जाएगा। योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए भुगतान किए गए कर की राशि पर विचार नहीं

किया जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय लाभों पर आयकर लाभ / निहितार्थ के संबंध में विवरणों के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श लें।

15. निःशुल्क अवलोकन अवधि :

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों व शर्तों से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, पॉलिसी निगम को आपत्तियों का कारण बताते हुए वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम पॉलिसी रद्द कर देगा और बीमा-सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर(रों), यदि कोई हो, के लिए) और चिकित्सा परीक्षण (विशेष रिपोर्ट (यदि कोई हो, सहित) और स्टांप शुल्क पर किए गए व्ययों की कटौती के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस कर देगा।

16. आत्महत्या अपवर्जन :

नियमित प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत :

- i) यदि बीमित व्यक्ति (चाहे स्वस्थ हो या विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति का नामित या लाभार्थी मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% को पाने का अधिकारी होगा, बशर्ते पॉलिसी चालू हो।
- ii) यदि बीमित व्यक्ति (चाहे स्वस्थ हो या विक्षिप्त) पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर आत्महत्या करता है, तो उसे मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 80% या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, देय होगा। बीमित व्यक्ति का नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकारी नहीं होगा।

यह अनुच्छेद प्रदत्त मूल्य प्राप्त किए बिना समाप्त हो गई पॉलिसी पर लागू नहीं होगा और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

एकल प्रीमियम भुगतान के अंतर्गत :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे स्वस्थ हो या विक्षिप्त) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या करता है, तो बीमित व्यक्ति के नामांकित व्यक्ति या लाभार्थी को भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80% को पाने का अधिकार होगा।

उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत ली जाने वाली अतिरिक्त राशि और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

17. नमूना हितलाभ उदाहरण :

इन उदाहरणों का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक इस उत्पाद की विशेषताओं और कुछ हद तक लाभ के प्रवाह को समझ सकें। यह उदाहरण अभिकर्ता/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए मानक जीवन (चिकित्सा, जीवनशैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) पर लागू होता है।

उदाहरण 1 : ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से नियमित प्रीमियम पॉलिसी

आयु	40	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी अवधि	20	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से):	2.25%
प्रीमियम भुगतान अवधि	20	प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक
मूल बीमा राशि रु.	50,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	48,004
धूम्रपान श्रेणी	धूम्रपान नहीं करने वाले	टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू होगी।	

हितलाभ सारांश :

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)	वार्षिक प्रीमियम (संचयी)	गारंटीड हितलाभ (रु. में)		
		परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीड अभ्यर्पण हितलाभ
1	48,004	0	50,00,000	0
2	96,008	0	50,00,000	28,802
3	1,44,012	0	50,00,000	50,404
4	1,92,016	0	50,00,000	96,008
5	2,40,020	0	50,00,000	1,20,010
6	2,88,024	0	50,00,000	1,44,012
7	3,36,028	0	50,00,000	1,68,014
8	3,84,032	0	50,00,000	2,01,617
9	4,32,036	0	50,00,000	2,37,620
10	4,80,040	0	50,00,000	2,76,023
11	5,28,044	0	50,00,000	3,16,826
12	5,76,048	0	50,00,000	3,60,030
13	6,24,052	0	50,00,000	4,05,634
14	6,72,056	0	50,00,000	4,53,638
15	7,20,060	0	50,00,000	5,04,042
16	7,68,064	0	50,00,000	5,56,846

17	8,16,068	0	50,00,000	6,12,051
18	8,64,072	0	50,00,000	6,69,656
19	9,12,076	0	50,00,000	8,20,868
20	9,60,080	9,60,080	50,00,000	8,64,072

उदाहरण 2 : ऑफलाइन विक्रय के माध्यम से एकल प्रीमियम पॉलिसी

आय	40	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
पॉलिसी अवधि	20	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से):	लागू नहीं
प्रीमियम भुगतान अवधि	1	प्रीमियम भुगतान की विधि	एकल
मूल बीमा राशि रु.	50,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	3,14,280
धूप्रपान श्रेणी	धूप्रपान नहीं करने वाले	टिप्पणी : जीएसटी दर समय-समय पर लागू होगी।	

हितलाभ सारांश :

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का अंत)	एकल प्रीमियम (संचयी)	गारंटीड हितलाभ (रु. में)		
		परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीड अभ्यर्पण लाभ
1	3,14,280	0	50,00,000	2,35,710
2	3,14,280	0	50,00,000	2,35,710
3	3,14,280	0	50,00,000	2,35,710
4	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
5	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
6	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
7	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
8	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
9	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
10	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
11	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
12	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
13	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
14	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
15	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
16	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852

17	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
18	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
19	3,14,280	0	50,00,000	2,82,852
20	3,14,280	3,14,280	50,00,000	2,82,852

ध्यान दें :

- 1) एकल/वार्षिक प्रीमियम वर्ष की शुरुआत में अग्रिम रूप से देय होती है और इसमें बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर आवृत्ति लोडिंग, राइडरों के लिए भुगतान की गई प्रीमियम, यदि कोई हो, और वस्तु एवं सेवा कर शामिल नहीं होते हैं।
- 2) हालाँकि, विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है, यदि यह पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल होता है।

बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 45

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के प्रावधान समय-समय पर संशोधन अनुसार होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है :

बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 के अनुसार पॉलिसी से संबंधित सवाल न उठाए जाने वाले प्रावधान निम्नानुसार हैं :

- 3) निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा :
 - ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
 - बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या
 - सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
 - डी. पॉलिसी के लिए हितलाभ की तिथि जो भी बाद में हो
- 4) धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है :
 - ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
 - बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या
 - सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
 - डी. पॉलिसी के लिए हितलाभ की तिथि जो भी बाद में हो

इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं तथ्यों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

- 5) धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है :
- ए. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;
- बी. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;
- सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं
- डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।
- 6) केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष न हो।
- 7) किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकार धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को छुपाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे छुपाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। असत्य साबित करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।
- 8) जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चालित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था। इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या तथ्यों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।
- 9) यदि अस्वीकार गलत-बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, अस्वीकार की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को अस्वीकार की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- 10) तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर सीधा असर न डालता हो। यह दर्शाने का कर्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

11) बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं। इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

(अस्वीकरण : यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 की विस्तृत सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।)

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41) :

- 1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :
- 2) इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थात् का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 के विभिन्न अनुच्छेद, जो एलआईसी के लिए लागू हैं, समय-समय पर संशोधन अनुसार लागू होंगे।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम बीमा कार्यालय पर संपर्क करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें
आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं हैं। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर, 1956 को जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित करना था, ताकि देश में सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचा जा सके और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय बीमा-सुरक्षा प्रदान की जा सके। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी महत्वपूर्ण जीवन बीमाकर्ता के रूप में बना हुआ है और वह अपने पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए विकास के एक नए मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। छह दशकों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हुए एलआईसी ने संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता व शक्ति को सतत रूप से परिवर्द्धित किया है।



पंजीकृत कार्यालय :

भारतीय जीवन बीमा निगम

केन्द्रीय कार्यालय, योगक्षेम,

जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट : www.licindia.in

पंजीकरण संख्या : 512